

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी:-अशोक सांगवा R.A.S.

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्या:-15/2025 (खाद्य पदार्थ नमूना संख्या के-2694)

राजस्थान सरकार जरिये हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

-प्रार्थी

बनाम्

श्री सुभाषचन्द्र सिडाना पुत्र श्री हाकमचन्द सिडाना (मालिक) 24 एएससी दुर्गा आईस फ़ैक्ट्री, कूपली मार्ग घडसाना

मैसर्स-सुभाषचन्द्र सिडाना(दुर्गा आईस फ़ैक्ट्री) वार्ड नं.-16,24 एएससी कूपल मार्ग नई धान मंडी घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

-अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(11), 51 FSSA Act 2006

-:निर्णय:-

दिनांक:-04.08.2025

यह इस्तगासा श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(11) व धारा 51 के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है-

यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हेतराम दिनांक 26.02.2025 को समय 12:00 पी. एम. वजे मैसर्स- सुभाषचन्द्र सिडाना(दुर्गा आईस फ़ैक्ट्री) वार्ड नं.-16, 24 एएससी कूपल मार्ग नई धान मंडी घडसाना पर पहुँचा। मौके पर विक्रेता सुभाषचन्द्र सिडाना(दुर्गा आईस फ़ैक्ट्री) को अपना परिचय देकर संस्थान फ़ीजर में रखे खुले दही (खुला) के बारे में जानकारी चाही। इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान के फ़ीज में छः प्लास्टिक कैन में लगभग 60 किलो दही (खुला) रखा हुआ, के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान के फ़ीज में छः प्लास्टिक कैन में लगभग 60 किलो दही (खुला) को टोड दूध में तैयार होना बताया व आमजन को बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से दही (खुला) नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को व्यक्त की मौके पर ही विक्रेता को फार्म नं-5 ए भरकर दिया, जिस पर विक्रेता, गवाहान के व मैंने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध दही (खुला) में से 200gm X 4=800 gm दही (खुला) मालिक से खरीद कर लिया विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा दही (खुला) का नगद भुगतान 60/-रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता, गवाहान व मेरे भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री सुभाषचन्द्र सिडाना पुत्र श्री हाकमचन्द सिडाना (मालिक) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री सुभाषचन्द्र सिडाना पुत्र श्री हाकमचन्द सिडाना (मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा दही (खुला) 200gm X 4=800 gm को बराबर भागों में बांटकर 04 साफ-सुथरे डिब्बों में लेकर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक फॉर्मेलिन की 16-16 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये ओर चारों डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी. ओ. श्रीगंगानगर के कोड़ एवं क्रमांक के-2694 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए

खाद्य निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलिफ नं. के-2694 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मालिक सुभाषचन्द्र एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फॉर्म नं. 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य विश्लेषक बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र क्रमांक FSSA/2025/380-82 दिनांक 12.03.2025 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ दही (खुला) के नमूना Sub-standard Food होना पाया गया, भेजकर उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने का कहा गया।

फूड एनालिस्ट, बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्रांक-एफएसएसए/2025/380-82 दिनांक 12.03.2025 द्वारा रजि. डाक से सूचित किया गया। परंतु नमूना विक्रेता व मालिक ने रेफरल फूड लैब से जांच करवाने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतुराम ने अनुसंधान कार्य सम्पन्न होने के पश्चात श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को पत्र दिनांक 17.04.2025 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश की गई।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. /2025/531-32 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। जो मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी श्री सुभाषचन्द्र सिडाना पुत्र श्री हाकमचन्द सिडाना (मालिक) से खाद्य पदार्थ दही (खुला) Sub-standard Food का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजि. किया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पर नोटिस तामिल होने के उपरांत न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनुपमद्व

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ दही (खुला) के नमूना जांच की खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक L.S.233/Act/2025/233 दिनांक 06.03.2025 में खाद्य पदार्थ दही (खुला) एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51 का उल्लंघन करते हुए नमूना के-2694 Sub-Standard पाया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(11) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया था। अप्रार्थी द्वारा Sub-Standard खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोड़ता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार के बीच होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दुकानदार/विक्रेता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल-भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा Sub-Standard खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी के विरुद्ध पहले भी दर्ज प्रकरण संख्या-32/2025 में सब-स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ बेचने हेतु आर्थिक दंड से दंडित किया जा चुका है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(11), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26(2)(11), 51 के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ दही (खुला) हेतु श्री सुभाषचन्द्र सिडाना पुत्र श्री हाकमचन्द सिडाना (मालिक) 24 एएससी दुर्गा आईस फ़ैक्ट्री, कूपली मार्ग घड़साना द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ दही (खुला) पाये जाने पर 100,000/-रुपये (एक लाख हजार रुपये) आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक-04.08.2025 को सुनाया गया।



(अशोक सिंगवा) थार.ए.एस.
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
अनुपगढ़